न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– कंचन राठौड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :– 10/2015

प्रार्थी

हड़मानसिंह पुत्र भंवरसिंह
जाति पुरोहित निवासी ग्राम
भावी तहसील बिलाड़ा,
जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. कल्याणसिंह पुत्र भंवरसिंह
2. संतोषसिंह पुत्र भंवरसिंह
3. ओमसिंह पुत्र भंवरसिंह
4. भोजसिंह पुत्र शिवनारायणसिंह
5. मूलसिंह पुत्र हड़मानसिंह
   जातियान पुरोहित निवासीगण
   ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर
6. सरकार जरिये तहसीलदार
   बिलाड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थितिः– प्रार्थी की ओर से श्री डी.डी. रामावत अधिवक्ता
अप्रार्थी संख्या 1 से 5 अनुपस्थित
अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 सरकारी पैरोकार उपस्थित

:: आदेश :: **दिनांक**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा वर्तमान में पक्षकरान के नाम दर्ज है तथा ग्राम भावी (एस.बी.) स्थित भूमि खसरा नम्बर 1361 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 1367 रकबा 09 बीघा, खसरा नम्बर 1373 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा जो पक्षकारान के नाम दर्ज है तथा ग्राम भावी (एस.बी.) में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1358 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1370 रकबा 09 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 1372 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 3462 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 3464 रकबा 17 बिस्वा जो पक्षकारान के नाम दर्ज है तथा ग्राम मालकोसनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 100 रकबा 04 बीघा 09

सहायक कलक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

बिस्वा जो पक्षकारान के नाम दर्ज है तथा ग्राम मालकोसनी स्थित खसरा नम्बर 98 रकबा 40 बीघा 01 बिस्वा वर्तमान में पक्षकारान के नाम दर्ज है। उपरोक्त सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में ग्राम भावी जाटावास स्थित खसरा नम्बर 488, 489 भूमि जो पक्षकारान के नाम दर्ज है। जिसमें सहखातेदार राणसिंह व भोपालसिंह ने अपने हिस्से की भूमि जरिये पंजीबद्ध हकतर्कनामा दस्तावेज संख्या 233 दिनांक 09.04.1985 के माफिक अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा भंवरसिंह व भोजसिंह के पक्ष में हकतर्क कर दिया था। तब से इस भूमि पर आजीवन स्व. श्री भंवरसिंह व उनका सहखातेदार भोजराजसिंह काबिज है। स्व. श्री भंवरसिंह के स्वर्गवास के पश्चात् उनके पुत्र प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 काबिज है। जिन्होने उक्त भूमि का मौके पर आपसी रजामन्दी से बंटवाड़ा कर लिया तदनुसार खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्व. भंवरसिंह के पुत्रगण प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के बंट में तथा शेष भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 4 भोजराजसिंह के कब्जे व बंट की है। तदनुसार उक्त भूमि खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा में वादी का 1/4 हिस्स तथा 3/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का है तथा वादग्रस्त भूमि ग्राम भावी सीरवीबास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1358, 1370, 1372, 3462, 3463, 3464 की कुल 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि में प्रार्थी का 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 3/4 हिस्सा तथा शेष वादग्रस्त भूमि ग्राम मालकोसनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 99 व 100 कुल खसरा 2 रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा भूमि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 व 5 की जरिये पंजीबद्ध बैचान दस्तावेज संख्या 235/85 दिनांक 09.04.1985 के खरीदसुदा व कब्जासुदा सहखातेदारी की भूमि है। जिसमें राजस्व अधिकारियों की त्रुटिवश उक्त भूमि वर्तमान में महज अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम ही दर्ज है। जबकि अप्रार्थी संख्या 5 भी इस भूमि पर सहखातेदार है एवं इस सम्पूर्ण भूमि में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 का 3/4 तथा 1/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 5 का है तथा अन्य वादग्रस्त भूमि ग्राम मालकोसनी स्थित खसरा नम्बर 98 रकबा 40 बीघा 01 बिस्वा प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की सहखातेदारी की कब्जासुदा भूमि है जिसमें प्रार्थी का 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 3/4 हिस्सा है। हिस्से माफिक प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर बतौर सहखातेदार काबिज रहकर लगान की अदायगी करते आये है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी से बेहतर हक अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के नही है तथा वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है जिसका विधिवत् बंटवाड़ा किया

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

जाना बाकी है। मौके पर वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी अपने बंट एवं कब्जे की भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहते है इस हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से उसके हिस्से की भूमि उसे अलग बंटवाड़े में दिया जाकर उसके नाम दर्ज करवाने हेतु अप्रार्थीगण को कहा इस पर वे एलानिया इन्कार हो गये तथा दिनांक 21.05.2015 को उन्होने वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में प्रार्थी खातेदारी हकूको को इन्कार कर दिया जिस पर प्रार्थी की ओर से वादग्रस्त भूमि की राजस्व रेकर्ड की नकले ली जाकर उसकी ओर से अलग से वाद पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भावी जाटावास स्थित खसरा नम्बर 488 व 489 की कुल 21 बीघा 12 बिस्वा भूमि तथा खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा ग्राम भावी सीरवीवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1361, 1367, 1373 की कुल 26 बीघा 06 बिस्वा तथा ग्राम भावी सीरवीबास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1358, 1370, 1372, 3462, 3463, 3464 की कुल 26 बीघा 10 बिस्वा भूमि में तथा ग्राम मालकोसनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 99 व 100 कुल खसरा 2 कुल रकबा 09 बीघा 09 बिस्वा तथा ग्राम मालकोसनी स्थित भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 40 बीघा 01 बिस्वा भूमि में प्रार्थी के सयुक्त कब्जे में किसी भी रीति से दखल नही करने न अन्य किसी व्यक्ति के मार्फत दखल करवाने तथा वादग्रस्त भूमि के किसी भी हिस्से में कच्चा पक्का निर्माण नही करने तथा इसके किसी भी हिस्से को आगे अन्तरित, प्रभारित नही करने हेतु अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता इस प्रार्थना पत्र में जवाब पेश करना नही चाहते है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 सरकारी पैरोकार जवाब पेश करना नही चाहते है अतः इनका जवाब बन्द किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :–

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :- प्रकरण के अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में साबित करने का भार प्रार्थी पर है। जिस बाबत् विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा भंवरसिंह, राणसिंह, भोपालसिंह पिसरान जवाहरसिंह, भोजसिंह पुत्र शिवनारायणसिंह के नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थी। जिसमें से राणसिंह, भोपालसिंह ने अपना हिस्सा का हकतर्कनामा दिनांक 09.04.1985 को भंवरसिंह व भोजसिंह के पक्ष में निष्पादित करवा दिया। उसके बाद भंवरसिंह का देहान्त हो गया, उनके देहान्त के बाद उक्त खातेदारी भूमि पर उनके पुत्र प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का कब्जा व काश्त है। उपरोक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 488, 489 का आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 01 बिस्वा प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के बंट में तथा खसरा नम्बर 488 रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 4 के बंट में रखी गयी है। इसी प्रकार ग्राम भावी (एस.बी.) की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1361, 1367, 1373 की भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा तथा 3/4 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का है तथा ग्राम भावी (एस.बी.) की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1358, 1370, 1372, 3462, 3463, 3464 की भूमि में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 3/4 हिस्सा है। इसी अनुसार ग्राम मालकोसनी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 99, 100 में अप्रार्थी संख्या 1 से 3 जरिये बैचान सहखातेदारी की भूमि है, इसी प्रकार ग्राम मालकोसनी की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 40 बीघा 01 बिस्वा की भूमि में प्रार्थी का 1/4 तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 3/4 हिस्सा है। उपरोक्त खसरान की सयुक्त खातेदारी भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जिसका विधिवत बंटवाड़ा किया जाना बाकी है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने कोई जवाब पेश नही किया है।

पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह सामने आया है कि ग्राम भावी (जे.बी.) की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 488, 489 तथा ग्राम भावी (एस.बी.) की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

1361, 1367, 1371, 1358, 1370, 1372, 3462, 3463, 3464 तथा ग्राम मालकोसनी की भूमि खसरा नम्बर 98 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थी ने अपनी सयुक्त खातेदारी भूमि में बंटवाड़ा का दावा पेश किया है। प्रार्थी सयुक्त खातेदारी भूमि में रेकर्डेड खातेदार है। अगर सयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी को हो जायेगी। इस कारण मेरे विनम्र मत में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णनीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार का जवाब पेश नही कर तथ्यों का खण्डन नही किया है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है एवं ताफैसला दावा अप्रार्थीगण के विरूद्ध आदेश प्रदान किया जाता है कि ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 489 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा तथा ग्राम भावी (एस.बी.) तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1361 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 1367 रकबा 9 बीघा, खसरा नम्बर 1373 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1358 रकबा 13 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1370 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 1372 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 3462 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 3463 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 3464 रकबा 17 बिस्वा व ग्राम मालकोसनी की भूमि खसरा नम्बर 98 रकबा 40 बीघा 1 बिस्वा का दोनो पक्षकारान मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(कंचन राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Scanned by CamScanner